

संख्या: पी.एल.जी.(एफ.)आर.डी.पी./5-8/22-वि.एम.जे.एस.-शिमला  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
योजना विभाग

प्रेषक:

प्रधान सचिव (योजना),  
हिमाचल प्रदेश सरकार,  
शिमला-2

प्रेषित:

समस्त उपायुक्त,  
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक

शिमला-2

२७ अक्टूबर, 2023

विषय — जिलों में अव्ययित राशि को खर्च करने वारे दिशा-निर्देश।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र संख्या पी.एल.जी.(एफ.)आर.डी.पी. मेनफाईल दिनांक 29 सितंबर, 2020 का अवलोकन करें जिसके द्वारा सरकार ने क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, विकास में जन सहयोग, मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2018 तक स्वीकृत ऐसे कार्य जो किन्हीं कारणों से शुरू नहीं किए जा सके हैं, उन कार्यों की अव्ययित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए करने वारे दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

इस संदर्भ में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त दिशा-निर्देश विकास में जन सहयोग कार्यक्रम पर लागू नहीं होंगे। अन्य कार्यक्रमों पर यह दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित करें।

(इसे माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।)

भवदीय,

सलाहकार (योजना)  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

पृ. सं. यथोपरि

दिनांक:

शिमला-2

२७ अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- निजी सचिव, प्रधान सचिव, (योजना) हिं0 प्र0 सरकार, शिमला-2।
- समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
- परियोजना अधिकारी, किन्नौर, लाहौल (लाहौल स्पति), स्पिति (लाहौल स्पति), पांगी (चम्बा) और भरमौर (चम्बा) हिमाचल प्रदेश।

सलाहकार (योजना)  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2